



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004


क्रमांक: सा.प्र./2023/14032-92

दिनांक: 22/2/2023

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/ईकाई प्रभारी अधिकारी,
2. समस्त प्राचार्य, महाराजा/महारानी/वाणिज्य/राजस्थान/विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि., जयपुर

संशोधित परिपत्र

समाज कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों/प्राचार्यों/निदेशकों को सूचित किया जाता है कि विभाग/महाविद्यालय/केन्द्र के आरक्षित वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमोदन के लिए उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन विभागीय बजट/लोकल फण्ड से क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांक: सा.प्र./2023/14093 - 14100

दिनांक: 22/2/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधित परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
3. उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त/शैक्षणिक द्वितीय, रा.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
5. विश्वविद्यालय अभियन्ता, रा.वि.वि., जयपुर।
6. रक्षित पंजिका।


(डॉ कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव (सा.प्र.)